



कार्यालय नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।


-: सार्वजनिक नीलामी सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 (दिनांक 01-04-2016 से 31.03.2017 तक के लिए) जनपद न्यायालय परिसर के भीतर निम्नलिखित दुकानों के ठेकों की नीलामी दिनांक 26-03-2016 को अपराह्न 1-00 बजे प्रभारी अधिकारी नज़ारत, जनपद न्यायालय, गोण्डा / चेंबरमैन नीलामी समिति, के सम्मति की जायेगी । नीलामी की कार्यवाही की सामान्य शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

1. प्रत्येक बोली बोलने वाले को अनिवार्य होगा कि वह अपने बोली पर स्थिर रहे तथा अपने बोली के अनुरूप अपने-अपने हैसियत प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करे । यह प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
2. बोली बोलने के पूर्व उसे चाय नमकीन व फोटो/फोटो स्टेट की दुकानों के लिए बीस-बीस हजार रुपये तथा पान की दुकान के लिए दस-दस हजार रुपये जमानत के रूप में अग्रिम जमा होगा बिना अग्रिम जमा किये हुए कोई व्यक्ति बोली बोलने का पात्र नहीं होगा । चाहे वह हैसियत प्रमाण पत्र क्यों न प्रस्तुत करे ।
3. चाय नमकीन की दुकान के ठेकेदार खाद्य पदार्थों में किसी ऐसे पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो ।
4. बोली अंतिम रूप से स्वीकार होने की दशा में उसकी बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा । अंतिम बोली स्वीकार होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को 100 रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध भी करना होगा । यदि अंतिम रूप से स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत के एक सप्ताह के अन्दर जमा नहीं की जायेगी तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी । बोली पुनः कराई जायेगी ।
5. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय गोण्डा को होगा । बिना बोली बोलने वाला व्यक्ति कारण जानने का पात्र नहीं होगा ।
6. प्रत्येक बोली बोलने वाला व्यक्ति जिसकी बोली अंतिम रूप से स्वीकृत होगी वह अपनी दुकान जनपद न्यायालय परिसर की सीमा के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्थान पर लगायेगा । किसी ठेकेदार को स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त अन्य दुकान खोलने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा अपनी दुकान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा ।
7. स्वीकृत दुकान पर दुकानदार स्वयं बैठकर दुकान का संचालन करेगा । यदि दुकानदार अपनी दुकान अन्य व्यक्ति से संचालित करता है तो उसे उस व्यक्ति के नियुक्ति के उपरान्त उससे दुकान संचालित कराये जाने के पूर्व उसका नाम पता कार्यालय में अवगत कराना आवश्यक होगा । इस सम्बन्ध में चाय नमकीन आदि की दुकानों की बिक्री करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
8. कोई ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जनपद न्यायालय परिसर में सारां 7-00 बजे से प्रातः 9-00 बजे के मध्य नहीं रुकेगा ।
9. जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति के बिना कोई ठेकेदार अथवा कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं लगायेगा ।
10. जिस व्यक्ति के जिम्मे पूर्व से नीलामी का धनराशि बकाया होगा उसको बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
11. चाय नमकीन की दुकान पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रभारी अधिकारी नज़ारत अथवा केन्द्रीय नाज़िर द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी समय-समय पर खाद्य सामग्री का परीक्षण कर सकेंगे । विपरीत परिस्थितियोंद्वारा ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकता है ।
12. किसी भी तरह के विवाद का क्षेत्र जनपद न्यायालय गोण्डा होगा ।


सदस्य,
नीलामी समिति /
अपर सिविल जज (सू0डि0),
गोण्डा । 15.03.16


सदस्य,
नीलामी समिति /
अपर सिविल जज (सी0डि0),
गोण्डा । 15.03.16


चेंबरमैन,
नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश ईसी00 ऐक्ट,
गोण्डा ।
15.03.16

**दुकानों का विवरण
नीलामी का दिनांक 26-03-2016**

1. चाय नमकीन दुकान नं0-1 मेन ब्लाक के दाहिने तरफ दक्षिण पूर्व कोने पर गेट के पास ।
2. चाय नमकीन दुकान नं0-2, मेन ब्लाक के पीछे ।
3. चाय नमकीन दुकान नं0-3, दस वक्तीय न्यायालय भवन के सामने ।
4. पान दुकान नं0- 1 होटल सं0- 1 के बगल ।
5. पान दुकान नं0- 2 होटल सं0- 2 के बगल ।
6. पान दुकान नं0- 3 होटल सं0- 3 के बगल ।
7. फोटो/फोटो स्टेट दुकान मेन ब्लाक के पीछे ।


**कार्यालय नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।
नीलामी दिनांक 26-03-2016**

संख्या 348 /नाज़िर दिनांक 15 मार्च 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा ।
3. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा ।
4. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा ।
5. नगर पालिका परिषद, गोण्डा ।
6. जिला परिषद, गोण्डा ।

नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय के वेब साईट पर अवलोकन करने हेतु ।
आज्ञा से,


केन्द्रीय नाज़िर,
जनपद न्यायालय, गोण्डा ।
15.03.16